आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– आपूर्ति अपील वाद 10/2013 परमानंद साह

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
13.06.2017	***आदेश*** प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद सं0 10/2013 परमानंद साह, पे0–स्व0 सुखदेव साह, ग्राम–बेलदौर, थाना–बेलदौर, जिला–खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 981, दिनांक 05.06.2013 से विछुब्ध होकर दाखिल किया गया है। दाखिल अपील आवेदन के उल्लेख किया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा बिना कारण पृच्छा नोटिश के दिनांक 05.06.2013 को अनुज्ञप्ति सं0 11 बी0/07 को रद्द कर दिया गया। उनका यह भी कहना है कि उपभोक्तओं की शिकायत पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलदौर एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया जन वितरण प्रणाली की दूकान पर गये थे और दूकान बंद पाया गया और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलदौर द्वारा बेलदौर थाना कांड सं0 49/2013, दिनांक 13.05.2013 दर्ज कराया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जांच की तिथि को ही बिना कारण पृच्छा किये, बेलदौर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। जन वितरण प्रणाली बिक्रेता 61 वर्ष के हैं और मधुमेह के रोगी हैं। दिनांक 13.05.2013 को रविवार का दिन था और वे अपने परिवार के साथ गोगरी में डॉ0 जगत कुमार से दिखाने हेतु गए हुए थे। डॉ0 जगत कुमार का चिकित्सा पर्ची की छायाप्रति संलग्न किया है। इस स्थिति में जन वितरण प्रणाली बिक्रेता के अनुज्ञप्ति सं0 11 बी0/2007 को दिनांक 05.06.2013 को रद्द कर दिया गया जो बिल्कूल ही न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने अपने अपील आवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि उनके वितरण पंजी, भंडार पंजी एवं अन्य कागजात को बिना देखे, जांच किए आदेश पारित किया गया जो विधि संगत नहीं है। उन्होंने अपील को स्वीकार कर अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को आवंटन चालू करने का निदेश देने का अनुरोध किया है। अपीलार्थी के अपील आवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजात का परिशीलन किया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 981, दिनांक 05.06.2013 से स्पष्ट होता है कि पचौत पंचायत के जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्री परमानंद साह अनुज्ञप्ति सं0 11बी0/07 को उनके विरूद्ध बेलदौर थाना कांड सं0 49/2013 दिनांक 13.05.2013 के आलोक में	

बिहार सर्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2011 के नियम 7 (2) के प्रावधान के तहत रद्द किया गया है।

अपीलार्थी अपील आवेदन दाखिल करने के बाद से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं तथा अपीलार्थी की ओर से कोई हाजरी भी नहीं दी जा रही है। अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थित रहने से स्पष्ट होता है कि उन्हे कोई अभिरूचि नहीं है। उन्हें अंतिम मौका भी दिया गया लेकिन फिर भी वे अनुपस्थित चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में एकतरफ आदेश पारित किया जा रहा है।

अपीलार्थी के लगतार अनुपस्थिति तथा अपीलार्थी द्वारा इसमें अभिरूचि नहीं लेने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 981, दिनांक 05.06.2013 को बरकरार रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता
खगड़िया 3/6/17

समाहर्त्ता
खगड़िया 3/6/17